प्रेस नोट
दिनांक 06.10.2025

थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत 15 वर्षीय बालक की हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर मय 01 जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-243/25, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त संदीप मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा नि0 महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को बलरामपुर रोड से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही (दुकान के पीछे झाड़ियो) से आलाकत्ल 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर मय 01 जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.10.2025 को थाना इटियाथोक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि संदीप मिश्रा की फर्टिलाइजर की दुकान के सामने एक 15 वर्षीय लड़का पड़ा हुआ है, जिसके सीने से रक्तस्राव हो रहा है। सूचना पर तत्काल थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर घायल युवक को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की शिनाख्त मंगल देव वर्मा पुत्र रामशंकर उर्फ रमई वर्मा निवासी बलदुपुरवा, भवानीपुर खुर्द, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा, उम्र लगभग 15 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर मौका मुआयना किया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। मृतक के पिता रामशंकर वर्मा उर्फ रमई पुत्र अमिरिका प्रसाद नि0 बन्धकपुरवा भवानीपुर खुर्द थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में नामजद आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित 05 पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष इटियाथोक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 06.10.2025 को पुलिस टीमों द्वारा आरोपी हत्याभियुक्त संदीप मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा नि0 महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को बलरामपुर रोड से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही (दुकान के पीछे झाड़ियो) से आलाकत्ल 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर मय 01 जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संदीप मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा नि0 महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-243/25, धारा 103(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. श्री कृष्ण गोपाल राय थानाध्यक्ष इटियाथोक।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस मय टीम
03. व0उ0नि0 राजेन्द्र कन्नौजिया।
04. उ0नि0 कृष्णानन्द पाण्डेय।
05. उ0नि0 अविनाश विद्यार्थी।
06. हे0का0 स्वामीनाथ मौर्य।
07. का0 धर्मेन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.10.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 72 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः—</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर—जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **कल दिनांक 05.06.2025 को** विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने—अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर—जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 72 गैर—जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना—वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है— थाना को0 नगर पुलिस ने 17, थाना को0 देहात पुलिस ने 04, थाना इटियाथोक पुलिस ने 03, थाना खरगूपुर पुलिस ने 09, थाना धानेपुर पुलिस ने 04, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02, थाना मोतीगंज पुलिस ने 03, थाना मनकापुर पुलिस ने 06 थाना तरबगंज पुलिस ने 02, थाना नवाबगंज पुलिस ने 03, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 04, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 07, थाना परसपुर पुलिस ने 02, थाना कटराबाजार पुलिस ने 03 व थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.10.2025</u>

<u>थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाही–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–363/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– श्याम कुमार पुत्र स्व0 बच्चा राम प्रजापति निवासी ग्राम अन्दूपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम अन्दूपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 18.08.2025 को वादी विनोद पुत्र स्वामी प्रसाद नि0 ग्राम वीरपुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री की शादी परसपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अन्दूपुर निवासी नन्द कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पुत्री को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा आज दिनांक 18.08.2025 दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में नामजद 05 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 06.10.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त–श्याम कुमार को ग्राम अन्दूपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. श्याम कुमार पुत्र स्व0 बच्चा राम प्रजापति निवासी ग्राम अन्दूपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–363/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 अमन कन्नौजिया।
02. का0 उपेन्द्र रावत।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.10.2025</u>

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–453/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त अंजनी कुमार तिवारी पुत्र चन्द्रप्रकाश तिवारी, नि0 ग्राम ढोंगवा, मौजा खरगूपुर, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा को गोड़री पुरवा से काशीपुर रोड, मौजा खरगूपुर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी रामनिहाल पुत्र त्रिवेणी प्रसाद, ग्राम असरथा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री का विवाह 24.05.2014 को थाना को0 देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढोंगवा निवासी अन्जनी कुमार तिवारी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही उनकी पुत्री को उसके पति, सास–ससुर एवं अजिया–ससुर द्वारा कम दहेज लाने के कारण मार–पीट एवं प्रताड़ित किया जाता रहा। दिनांक 29.09.2025 को प्रार्थी को सूचना मिली कि अनीता की मृत्यु हो गई है। शव का निरीक्षण करने पर शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत हुआ। आज दिनांक 06.10.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अंजनी कुमार तिवारी को गोड़री पुरवा से काशीपुर रोड, मौजा खरगूपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अंजनी कुमार तिवारी पुत्र चन्द्रप्रकाश तिवारी, नि0 ग्राम ढोंगवा, मौजा खरगूपुर, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–453/2025, धारा108 बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना को0 देहात।
02. व0उ0नि0 कमल शंकर चतुर्वेदी।
02. हे0का0 रामदास राठौर।
04. का0 रोहित कुमार सिंह।
05. म0का0 रोली राज।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>